



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.4 (466) परावि/पीसी/अ.से.केन्द्र प्रकाश व्यवस्था/2483 जयपुर, दिनांक 12/7/18

प्रमुख शासन सचिव,
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज0 जयपुर

विषय :- अटल सेवा केन्द्रों पर स्थापित सौर संयंत्रों के हस्तांतरण के क्रम में।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 00048/2018 दिनांक 20.4.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि 249 पंचायत समिति एवं 9168 ग्राम पंचायत अटल सेवा केन्द्रों पर स्थापित सौर संयंत्र वर्तमान स्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को हस्तांतरित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. सौर संयंत्र जैसा है, उसी स्थिति में हैंडओवर किया जायेगा।
2. हैंडओवर करने से पूर्व प्रत्येक सौर संयंत्र में वर्तमान में उपलब्ध परिसंपत्तियों एवं क्रियाशीलता का निम्न दल द्वारा सत्यापन किया जायेगा:-
 - i. संबंधित ग्राम सेवक
 - ii. DOIT के प्रतिनिधि (जिनका मनोनयन आप द्वारा या DOIT के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा किया गया हो)
3. सौर संयंत्र के भविष्य की रखरखाव का संपूर्ण उत्तरदायित्व DOIT का होगा।
4. अटल सेवा केन्द्रों में ग्राम पंचायत को कार्यालय उपयोग हेतु वर्तमान में जो पावर (विद्युत) सौर संयंत्र से मिल रही है, वह यथावत् रहेगी

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त अटल सेवा केन्द्रों पर स्थापित प्रत्येक सौर सिस्टम का सर्वे कराते हुए सौर संयंत्र को टेक ओवर करते हुए संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करावें साथ ही आप द्वारा सौर संयंत्रों को टेकओवर करने के उपरांत क्या कार्यवाही की जायेगी, से अवगत करने का श्रम करावें।

भवदीय

(कुंजीलाल मीणा)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0 सरकार
4. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त महोदय, समस्त
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पराज।
8. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा
9. एम डी रील, 2 कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर
10. मख्य/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त
11. ए.सी.पी. पंचायती राज को बेवसाईट पर अपलोड हेतु

अधीक्षण अभियन्ता